

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 02/2025  
दायर दिनांक : 10/02/2025  
निर्णय दिनांक : 23/06/2025

**उनवान**

1. लेहरूलाल पिता बालू गाडरी निवासी चौकड़ी हा.मु.गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
2. भूरीबाई पत्नी बालू गाडरी निवासी चौकड़ी हा.मु.गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. डालू पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
2. नाराण पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
3. सुखा पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
4. देवा पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर
5. नाराण पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी 2, 4, 5 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डर्ड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भू.अ.निरीक्षक, आकोला को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम आकोला की आ.सं. 3452 रकबा 0.37 है।** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय अम्न दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर

